सत्यमेव जयते

सप्तदश
बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

अष्ठम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 322/2021 पर प्रतिवेदन

280622

(दिनांक............ को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1
5. परिशिष्ट	2-4

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची--

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32)	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150)	स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198)	स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110)	स०वि०स०
5. श्री राम विलास कामत (42)	स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166)	स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11)	स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121)	स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146)	स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164)	स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113)	स०वि०स०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2. श्री पवन कुमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री पवन कुमार सिन्हा	उप-सचिव
4. श्री (मो०) शमीम अहमद	अवर-सचिव
5. श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8. श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

निवेदन के संबंध में विचार-विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिये समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 322/2021

तीन माह से वेतन न मिलने के कारण आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से काम करने वाले आरा नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मी जिनकी संख्या 700 है, हड़ताल पर चले गये हैं । नगर निगम प्रशासन चुप है । इससे शहर का सफाई पर बुरा असर पड़ रहा है । तय मजदूरी (जो 275 रुपये प्रतिदिन है) नहीं दिया जा रहा है । पी०एफ० का पैसा गबन किया जा रहा है । इन्हें हमेशा काम से हटाने की धमकी दी जाती रही है । फर्जी मजदूरों के नाम पर पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है ।

अत: लोकहित में सफाई कर्मियों को बकाये वेतन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेन्सी कर्मियों को बकाये वेतन दिया हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेन्सी पर कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया गया है (परिशिष्ट-1)

श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3097, दिनांक 7 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट-2) के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1128, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 के आलोक में कार्यालय आरा नगर निगम आरा से प्राप्त पत्र संख्या 1060, दिनांक 9 सितम्बर, 2021 (परिशिष्ट-3) द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि सफाई मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई है तथा सफाई व्यवस्था के साथ-साथ कार्यालय कार्य भी सुचारू रूप से संचालित है । आउट सोर्सिंग एजेन्सी को हटाते हुये सफाई कार्य का संपादन नगर निगम, आरा के स्तर से ही कराया जा रहा है । इसके साथ ही सफाई कर्मियों के साथ हुये समझौते के आलोक में वर्तमान में मो० 375.00 रुपये प्रतिदिन की दर से माह अप्रैल, 2021 से भुगतान किया जा रहा है तथा दोषी एजेन्सी के विरुद्ध निलाम-पत्र दायर किया जा चुका है ।

समिति की निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई । समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन पत्रांक 1060, दिनांक 9 सितम्बर, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 322/2021 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट-1

श्री सुदामा प्रसाद (196), स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 322/2021

तीन माह से वेतन न मिलने के कारण आउट सोर्सिंग ऐजेन्सी के माध्यम से काम करने वाले आरा नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मी जिनकी संख्या लगभग 700 है, हड़ताल पर चले गये हैं । नगर निगम प्रशासन चुप है । इससे शहर की सफाई पर बुरा असर पड़ रहा है । तय मजदूरी (जो 275 रूप प्रतिदिन है) नहीं दिया जा रहा है । पी०एफ० का पैसा गबन किया जा रहा है । इन्हें महेशा काम से हटाने की धमकी दी जाती है । फर्जी मजूदरों के नाम पर पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है ।

अतः लोकहित में सफाई कर्मियों को बकाये वेतन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेंसी कर्मियों को बकाये वेतन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेंसी पर कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ ।

परिशिष्ट-2

सं० 2 नि०-322/2021/ 3097-वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान-सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 7 जुलाई, 2021 (ई०) ।

विषय--सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 322/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री सुदामा प्रसाद (196), स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

कृप्या इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव ।

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-3

पत्रांक 1060

कार्यालय आरा नगर निगम, आरा

प्रेषक

नगर आयुक्त,

आरा नगर निगम, आरा ।

सेवा में

सुयक्त सचिव-सह-निदेशक,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार पटना ।

आरा, दिनांक 9 सितम्बर, 2021 (ई०) ।

विषय--दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को मध्यान 12.00 बजे आयोजित बिहार विधान सभा की निवेदन समिति की बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 1128/न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक 3 सितम्बर, 2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संदर्भ में श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं० 322/2021 संबंधित प्रतिवेदन निम्नरूप से भेजी रही हैं ।

प्रश्न--तीन माह से वेतन न मिलने के कारण आउट सोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले आरा नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मी जिनकी संख्या 700 है, हड़ताल पर चले गये हैं । नगर निगम प्रशासन चुप है । इससे शहर की सफाई पर बुरा असर पड़ रहा है । तय मजदूरी (जो 275 रुपये प्रतिदिन है) नहीं दिया जा रहा है । पी०एफ० का पैसा गबन किया जा रहा है । इन्हें हमेशा काम से हटाने का धमकी दी जाती है । फर्जी मजदूरों के नाम पर पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है ।

अतः लोकहित में सफाई कर्मियों को बकाये वेतन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेन्सी कर्मियों को बकाये वेतन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाने तथा दोषी एजेन्सी पर कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ ।

उत्तर--वस्तुस्थिति यह है कि सफाई मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई है तथा सफाई व्यवस्था के साथ-साथ कार्यालय कार्य भी सुचारू रूप से संचालित है । आउट सोर्सिंग एजेन्सी को हटाते हुये सफाई कार्य का संपादन नगर निगम, आरा के स्तर से कराया जा रहा है । इसके साथ ही सफाई कर्मियों के साथ हुये समझौते के आलोक में वर्तमान में मो० 375.00 रुपये प्रतिदिन की दर से माह अप्रैल, 2021 से भुगतान किया जा रहा है तथा दोषी एजेन्सी के विरुद्ध निलाम-पत्र दायर किया जा चुका है ।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,

नगर आयुक्त,

आरा नगर निगम, आरा ।

बि०स०मु०-100 (एल० ए०)-2021-22 डी० टी० पी० -300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022